

28-07-17

आवेदिका अनु०।

आवेदिका की ओर से कोई अधिवक्ता भी उप० नहीं।  
आवेदिका एवं उसके अधिवक्ता की न्यायालय कक्ष से बाहर बार-बार  
पुकार लगवाई गयी परन्तु कोई उप० नहीं हुआ।

अनावेदक द्वारा अधिवक्ता श्री प्रवीण गुप्ता उप०।

प्रकरण आज आवेदिका साक्ष्य हेतु नियत है।

आज दिनांक को आवेदिका अनुपस्थित है। आवेदिका की  
ओर से उसके पक्ष समर्थन हेतु कोई अधिवक्ता भी उप० नहीं है।  
ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदिका उक्त आवेदन को आगे नहीं  
चलाना चाहती है। अतः प्रस्तुत आवेदन आवेदिका की अनुपस्थिति में  
खारिज किया जाता है।

पत्रावली अभिलेखागार भेजी जावे।

सही/—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

जेएमएफसी, गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)